न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	आशीष दाधीच RJS (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1191/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	156/2026
अन्तर्गत धारा	:	3/25 आयुध अधिनियम
पुलिस थाना	:	आरकेपुरम, कोटा

गोलू पुत्र बालकिशन, निवासी गंदीफली, थाना कैथून, जिला कोटा ग्रामीण (राज.)

.....प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा

.....विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से,
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य सरकार की ओर से।

-:: आदेश ::- दिनांक: 27.05.2026

1. प्रार्थी अभियुक्त गोलू की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र उसके अधिवक्ता ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा के यहां पेश किया जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जो न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है, उसका आरोपित अपराध से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई सरोकार नहीं है, उसे महज रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त से की गयी बरामदगिया मिथ्या है प्रार्थी अभियुक्त कोटा का स्थाई निवासी है जिसके फरार होने व गवाहों को टेम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा पूर्व में इस आशय का जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, न ही विचाराधीन है। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगने की संभावना बताते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से बिना अनुज्ञा-पत्र के अवैध पिस्टल लोहा मय मैगजीन मय 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जो गंभीर अपराध है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष को सुनकर उनके तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.05.2026 को बाबूलाल पारेता उपनिरीक्षक ने पुलिस थाना आरकेपुरम, कोटा पर एक फर्द चैकिंग व जब्ती इस आशय की पेश की कि वह गय जाप्ता श्री राहुल कानि. 1842, श्री नरेश कानि. 745 थाने से मय अनुसंधान बॉक्स मय लेपटॉप मय मिनी प्रिन्टर के वास्ते चैकिंग गुण्डा बदमाशान व अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु गश्त इलाका हेतु मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री रविन्द्र कानि. 1113 के थाने से रवाना होकर गश्त इलाका करता हुआ गुर्जर चोक पर पहुंचा, जहाँ पर जरिये मुखबीर खास ने सूचना दी कि एक व्यक्ति जिसने हल्के हरे रंग की टीशर्ट व नीले रंग का पजामा पहन रखा है, जो बांरा चित्तौड हाईवे की स्लीप लाइन बालाजी मन्दिर के सामने खड़ा हुआ है, जिसके पास अवैध हथियार है, जो कोई वारदात करने के फिराक में खड़ा हुआ है। मुखबीर खास की सूचना से हमराही जाप्ता को अवगत कराकर के सांकेतिक स्थान के लिये रवाना होकर के सांकेतिक स्थान पर पहुंचे, जहाँ पर उक्त हुलिये का व्यक्ति बालाजी मन्दिर के सामने स्लीप लाइन पर सामने से आता हुआ नजर आया, जो पुलिस जाप्ता को बावर्दी अपनी ओर आता देखकर के तेज कदमों से वापस नयागांव पुलिया की तरफ जाने लगा, जिसको उसने हमराही जाप्ता की मदद से घेरा देकर के रोका व उसने उसे यथास्थिति खड़े रहने की हिदायत कर नाम पते पूछे तो अपना नाम गोलू नागर पुत्र बालकिशन, उम्र 26 साल निवासी ग्राम गन्दीफली थाना कैथुन जिला कोटा ग्रामीण होना बताया, जिसकी तलाशी की कार्यवाही करने हेतु मौखिक आदेश श्री नरेश कानि. 745 को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया तथा उसके द्वारा भी आने-जाने वाले व्यक्तियों को स्वंतत्र गवाह बनने हेतु कहा लेकिन कानूनी पेचिदगियों के कारण एवं व्यस्तता के कारण कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, ना किसी ने अपने नाम पते बताये। श्री नरेश कानि. 745 ने 10 मिनट बाद वापस आकर के उसको बताया कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ. ना ही किसी ने अपना नाम पता बताया कोई भी व्यक्ति कानूनी पेचिदगियों में नहीं पड़ना चाहता है। इस पर उसने हमराही जाप्ता की मौखिक सहमति प्राप्त कर दोनों कानि. श्री नरेश कानि. 745, श्री राहुल कानि. 1842 को मौका के गवाह मामूर किया व उसने अपनी स्वयं की तलाशी गवाहन को दी व गवाहान की तलाशी उसके द्वारा ली गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इस पर उसके द्वारा पकडे गये गोलू नागर की तलाशी ली गई तो पहने हुए पजामे में बांये तरफ टीशर्ट के नीचे घुसेडी हुई एक पिस्टल लोहे की मय मेगजीन मिली व पजामे की दाहिनी जेब में 2 जिन्दा कारतूस पीतल के मिले। मुलजिम गोलू नागर से उक्त लोहे की पिस्टल व कारतूस अपने कब्जे में रखने बाबत लाइसेन्स चाहा गया तो कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया, जिस पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर तथा अवैध देशी पिस्टल व दो जिन्दा कारतूस को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया जाकर अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाही

Authenticated Document

की गयी...इत्यादि। उक्त फर्द चैकिंग एवं जब्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 156/2026 अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में संस्थित की जाकर अन्वेषणाधीन है।

05. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में प्रकरण संस्थित हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्रम संख्या	प्रकरण संख्या	धारा	थाना	सी.एस. संख्या	विवरण
01.	284/25	115(2), 126(2), 109(1), 3(5), 117(2), 140(3), 307 BNS	कैथून, कोटा	-	पेडिंग कोर्ट
02.	133/25	341, 323, 34 IPC	कैथून, कोटा	-	पेडिंग कोर्ट
03.	71/25	115(2), 126(2), 3(5) BNS	कैथून, कोटा	-	पेडिंग कोर्ट
04.	315/24	115(2), 126(2), 329(2), 333, 324(4)(5), 3(5) BNS	कैथून, कोटा	-	पेडिंग कोर्ट
05.	150/24	341, 323, 308, 325, 34 IPC	कैथून, कोटा	-	पेडिंग कोर्ट
06.	670/19	323, 342, 365, 506, 34 IPC	कैथून, कोटा	-	पेडिंग कोर्ट

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन एवं प्रार्थी के आपराधिक अभिलेख से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त कुल 6 प्रकरण संस्थित हुये हैं, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित होना बताया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि अनुसंधान पत्रावली पर नहीं है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से एक अवैध पिस्टल लोहा मय मैगजी मय 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 20.05.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, जिससे अब कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान तथा बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभी प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात् विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मैं प्रार्थी अभियुक्त की जमानत लेना उचित समझता हूँ।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त गोलू की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित

उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 40 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 20-20 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित) विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिये जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। इस जमानत आदेश में ऊपर जो विवेचन किया गया है उसका प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(आशीष दाधीच)

8. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)

NAND KISHORE BANSAL
Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.05.29 12:58:33 +0000

Authenticated Document